

**न्यायालय :- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के अतिरिक्त
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी:-सिराज अली)**

व्यवहार वाद क्रमांक-51ए/2014
संस्थापन दिनांक-27.08.2009

मु. अकीला बेगम पति आबिद मोहम्मद, उम्र 48 वर्ष,
निवासी-बैहर, तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — वादी

विरुद्ध

1-रहमान खान पिता बलदार खान, उम्र 59 वर्ष,
निवासी-कमल नगर बैहर, तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

2-वसीम पिता मोहम्मद हनीफ उर्फ राजू, उम्र 23 वर्ष,
निवासी-हीरापुर(भरवेली), तहसील बालाघाट,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

3-तरन्नुम पिता मोहम्मद हनीफ उर्फ राजू, उम्र 21 वर्ष,
निवासी-हीरापुर(भरवेली), तहसील बालाघाट,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

4-तब्बू पिता मोहम्मद हनीफ उर्फ राजू, उम्र 20 वर्ष,
निवासी-हीरापुर(भरवेली), तहसील बालाघाट,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

5-अन्जुम पिता मोहम्मद हनीफ उर्फ राजू, उम्र 18 वर्ष,
निवासी-हीरापुर(भरवेली), तहसील बालाघाट,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

6-सरफराज अहमद पिता ख्वाला अहमद, उम्र 38 वर्ष,
निवासी-वार्ड नं. 7, हरनाला बैहर, तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

7-मध्य प्रदेश राज्य तर्फे कलेक्टर बालाघाट,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — प्रतिवादीगण

-: / / निर्णय / / :-

(आज दिनांक-16/01/2015 को घोषित)

1— वादिनी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह व्यवहार वाद मौजा बैहर प. ह.न. 17/1, रा.नि.म. बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 427/1 रकबा 1. 910 हेक्टेयर भूमि (जिसे आगे विवादित भूमि से सम्बोधित किया जावेगा) पर वसीयत एवं वारसान हक के आधार पर एकमात्र स्वत्व प्राप्ति तथा विक्रय पत्र दिनांक-10.06.2011 को प्रभावशून्य घोषित किये जाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया है।

2— प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य है कि तहसीलदार बैहर ने नामांतरण आदेश दिनांक-21.07.2009 के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक-1 के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा के आधार पर विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक-1 का नाम दर्ज कर दिया। प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि विवादित भूमि स्वर्गीय मुन्नीबाई के स्वत्व की संपत्ति थी तथा प्रतिवादी क्रमांक-2 से 5 मुन्नीबाई की पुत्री जमीला की संताने है।

3— वादिनी के अभिवचन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी की माँ मुन्नीबाई का प्रथम विवाह बलदार खान से हुआ था, जिससे प्रतिवादी क्रमांक-1 का जन्म हुआ। बलदार खान ने मुन्नीबाई को छोड़ दिया, जिसके पश्चात् मुन्नीबाई ने रसूल बेग से निकाह किया था। रसूल बेग से मुन्नीबाई को तीन संतान क्रमशः पुत्री वादिनी, पुत्री जमीला एवं पुत्र रियाज उत्पन्न हुये। वादिनी की बहन जमीला व भाई रियाज फौत हो चुके है। मुन्नीबाई के फौत उपरांत उसकी एकमात्र वारिस वादिनी है। मुन्नीबाई ने अपने जीवनकाल में वसीयतनामा दिनांक-21.07.2007 निष्पादित कर विवादित भूमि वादी के पक्ष में वसीयत की थी तथा नोटरी बैहर से प्रमाणित कराया था। उक्त वसीयतनामा के आधार पर वादिनी ने नामांतरण आवेदन तहसीलदार बैहर के समक्ष पेश किया था, जिसमें प्रतिवादी क्रमांक-1 ने स्वयं को रसूल बेग की संतान बताकर वसीयत दिनांक-16.09.1999 के आधार पर नामांतरण किये जाने का निवेदन किया था।

तहसीलदार ने प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित वसीयत को सही मानते हुये अवैध रूप से प्रतिवादी क्रमांक-1 के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित कर दिया।

4— प्रतिवादी क्रमांक-1 के पक्ष में मुन्नीबाई ने वसीयत नहीं की है। प्रतिवादी क्रमांक-1 ने अवैध व शून्य वसीयत के आधार पर तहसीलदार से नामांतरण आदेश पारित करवाया है। प्रतिवादी क्रमांक-1 ने वाद के लम्बनकाल में वादिनी की जानकारी के बिना अवैध रूप से विवादित भूमि का विक्रय प्रतिवादी क्रमांक-6 को करते हुये विक्रय पत्र दिनांक-10.06.2011 निष्पादित किया है, जो वादिनी पर प्रभावशून्य है। विवादित भूमि पर वादिनी ने एकमात्र स्वत्व प्राप्त होने, नामांतरण आदेश एवं विक्रय पत्र प्रभावशून्य घोषित किये जाने तथा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु अनुतोष चाहा है।

5— प्रतिवादी क्रमांक-1 ने लिखित कथन में स्वीकृत तथ्य छोड़कर वादपत्र के सम्पूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुए अभिवचन किया है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 के पिता रसूल खान उर्फ रसूल बेग थे तथा माता मुन्नीबाई थी, जो कि फौत हो चुके हैं तथा उनका अंतिम संस्कार प्रतिवादी क्रमांक-1 ने ही किया है। मुन्नीबाई ने प्रतिवादी क्रमांक-1 के पक्ष में पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक-16.09.1999 निष्पादित की है। मुन्नीबाई की मृत्यु उपरांत वादिनी ने विवादित भूमि पर अपना नाम चोरी-छुपे दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार बैहर के समक्ष आवेदन पेश करने पर प्रतिवादी क्रमांक-1 ने जानकारी होते ही आपत्ति पेश की थी, जिस पर तहसीलदार बैहर ने वसीयतनामा दिनांक-16.09.1999 के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक-1 का नाम विधिवत् रूप से दर्ज किया है। विवादित भूमि मुन्नीबाई को स्त्रीधन के रूप में उसके पिता से प्राप्त हुई थी, इस कारण मुन्नीबाई को विवादित भूमि की वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था। मुन्नीबाई ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी क्रमांक-1 के पक्ष में निष्पादित वसीयत के पश्चात् खसरा नम्बर 405/2, रकबा 0.020 हेक्टेयर भूमि का विक्रय प्रतिवादी क्रमांक-1 को कर दी थी, जिसकी जानकारी वादिनी को होने पर भी उसने कोई आपत्ति नहीं की। प्रतिवादी क्रमांक-1 विवादित भूमि पर 16-17 वर्ष से काबिज काश्त है। स्वर्गीय

मुन्नीबाई ने वादिनी के पक्ष में कोई वसीयत नहीं की है। वादिनी का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है। वादिनी का वाद सव्यय निरस्त किया जावे।

6— प्रतिवादी क्रमांक-6 ने लिखित कथन में वादपत्र के सभी अभिवचन को इन्कार करते हुये अभिवचन किया है कि उसने विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख का विधिवत् अवलोकन कर, अभिलेख में प्रतिवादी क्रमांक-1 का नाम दर्ज होने और मौके पर नाप करवाकर विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक-1 से पंजीयत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की है। प्रतिवादी क्रमांक-6 ने इस वाद में न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक-27.04.2011 को पारित करने तथा अपील अवधि बीत जाने के पश्चात् विवादित भूमि को सद्भावना पूर्वक क्रय किया है। वादिनी को उक्त विक्रय की जानकारी होने पर भी उसने कोई आपत्ति नहीं की थी। प्रतिवादी क्रमांक-6 को इस न्यायालय का नोटिस दिनांक-19.11.2013 को प्राप्त होने पर इस प्रकरण की जानकारी हुई तथा उसे अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया गया है। वादिनी का वाद सव्यय निरस्त किया जावे।

7— प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक-2 से 5 एवं 7 एकपक्षीय रहे हैं तथा उनकी ओर से लिखित कथन पेश नहीं किया गया है।

8— प्रकरण में पूर्व पीठासीन अधिकारी के द्वारा दिनांक-27.04.2011 को निर्णय एवं डिक्री पारित कर वादी का वाद निरस्त किया गया है। उक्त निर्णय की अपील किये जाने पर माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा व्यवहार अपील क्रमांक-25ए/2011 पक्षकार अकीला बेगम विरुद्ध रहमान वगैरह में दिनांक-25.02.2012 को निर्णय पारित कर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक-27.04.2011 को अपास्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय मृतिका मुन्नीबाई द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-1 रहमान खान के पक्ष में तथाकथित रूप से निष्पादित किये गये पंजीकृत वसीयतनामा दिनांकित-16.09.1999 वैध एवं प्रभावी है, के संबंध में वादप्रश्न निर्मित कर उभयपक्ष को इस संबंध में सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का गुण-दोष के आधार पर नये सिरे से निराकरण करे।

9— उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर एवं माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश के पालन में प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये, जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष निम्नानुसार अंकित है :-

क्रं.	वाद-प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या विवादित भूमि खसरा नम्बर 427/1 रकबा 1.910 हेक्टेयर मौजा बैहर प.ह.नं. 17/1, रा.नि.मं. बैहर जिला बालाघाट में स्थित भूमि की वादिया एकमात्र स्वामिनी है ?	प्रमाणित नहीं
2	क्या उक्त विवादित भूमि से संबंधित राजस्व प्रकरण क्रमांक-29अ/6-2007-08 में पारित आदेश दिनांक-31.07.2009 अवैध होने से शून्य घोषित किये जाने योग्य है ?	प्रमाणित
3	क्या प्रतिवादी उक्त विवादित भूमि में अनाधिकृत हस्तक्षेप कर रहे है ?	प्रमाणित
4	क्या वादिया, प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की हकदार है ?	प्रमाणित
5	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की अंतिम कंडिका अनुसार
6	क्या मुन्नीबाई के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-1 रहमान खान के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक-16.09.1999 वैध है?	प्रमाणित नहीं
7	क्या प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-6 के पक्ष में निष्पादित विवादित भूमि का पंजीयत विक्रय पत्र दिनांक-10.06.2011 अवैध होने से वादीया पर अबंधनकारी है?	अंशतः प्रमाणित

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

वादप्रश्न क्रमांक-1, 2 एवं 6 का निराकरण

10— सुविधा की दृष्टि से उक्त वादप्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है। वादिनी ने उसके पक्ष में मुन्नीबाई द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक-21.07.2007 के आधार पर विवादित भूमि पर स्वत्व प्राप्त होने की घोषणा का अनुतोष चाहा है। अतएव सुविधा की दृष्टि से सर्वप्रथम वसीयतनामा दिनांक-21.07.2007 की वैधता का निराकरण किया जाना आवश्यक प्रतीत होता

है। यह साबित करने का भार वादिनी पर है कि उक्त वसीयतनामा के आधार पर उसे विवादित भूमि का स्वत्व प्राप्त है।

11— विधि मान्य वसीयत के निष्पादन के सबूत हेतु वैधानिक आवश्यकता है कि वसीयत दो या अधिक गवाहों के समक्ष निष्पादित हो और कम से कम एक अनुप्रमाणित साक्षी के द्वारा वसीयत साबित की गई हो, जिसने वसीयतकर्ता को हस्ताक्षर करते हुए देखा हो और साथ ही वसीयत की अंतर्वस्तु के बारे में भी जानकारी दी हो, वसीयतकर्ता के द्वारा प्रत्येक गवाहों के सामने हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है। विधिमन्य वसीयत हेतु भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-63 के अंतर्गत सभी आवश्यकता की पूर्ति होना आवश्यक है, साथ ही उसके निष्पादन को साबित किए जाने हेतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-68 के अंतर्गत वसीयत के कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी के द्वारा वसीयत साबित किया जाना चाहिए।

12— न्यायदृष्टांत देवकरण विरुद्ध रामेश्वर एवं अन्य, आई.एल. आर.(2011) एम.पी. 3135 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह अधिनिर्धारित किया है कि वसीयत को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-63 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-68 के अनुसार सम्यक रूप से साबित किया जाना चाहिए। संदेह पैदा करने वाली सभी उपस्थित परिस्थितियों को स्पष्ट करना चाहिए, जिससे कि न्यायालय की अंतश्चेतना संतुष्ट हो कि वसीयत को वसीयतकर्ता द्वारा सम्यक् रूप से निष्पादित किया गया था।

13— न्यायदृष्टांत रामराव करुजी बघाले विरुद्ध नत्थू ए.आई. आर.2011 एम.पी. 195 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह अधिनिर्धारित किया है कि जहां प्रतिवादी ने वसीयत से इंकार किया हो तो वादी को वसीयत को सम्पूर्ण संदेहास्पद परिस्थिति से परे प्रमाणित करना होगा। निष्पादक ने वसीयत को अंगूठा निशानी देकर निष्पादित किया तो यह दर्शित होता है कि निष्पादक एक अनपढ़ व्यक्ति था और वह पढ़ने और लिखने में भी असक्षम था, जब तक कि यह साबित नहीं कर दिया जाता कि वसीयत उसे पढ़कर सुनाई एवं समझाई गई थी और वसीयत की अंतर्वस्तु को सुनने के पश्चात वह निष्पादन करने को सहमत हुआ, उसके पश्चात उस पर अंगूठा निशानी किया, तब तक यह नहीं माना जा सकता कि वसीयत उसकी इच्छानुसार निष्पादित की गई।

14— पक्षकारगण मुस्लिम विधि से शासित होते हैं। मुस्लिम विधि के अंतर्गत मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा उसकी संपत्ति के 1/3 भाग से अधिक की वसीयत विधिमान्य नहीं होती है। वादिनी अकीला (वा.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में अभिवचन के अनुरूप कथन किये हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वसीयत लिखते समय वह उपस्थित थी, जिस दिन मुन्नीबाई ने वसीयतनामा लिखवाया था, उसी दिन वसीयतनामे के लिये स्टाम्प खरीदा गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मुन्नीबाई ने वसीयतनामा प्रदर्श पी-1 में सभी स्थानों पर एक ही दिन अंगूठा लगाया था। साक्षी ने कथन किया है कि मुन्नीबाई हमेशा उसके साथ रही है, किन्तु साक्षी यह बताने में असमर्थ रही है कि मुन्नीबाई कई वर्षों तक उसके साथ रही, फिर भी वसीयतनामा में पांच वर्ष में साथ रहने की बात लिखायी गई है। उक्त के संबंध में साक्षी ने अपनी साक्ष्य में कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया है।

15— वादिनी ने अपने पक्ष में कथित वसीयतनामा दिनांक 21.07.07 प्रदर्श पी-1 के अनुप्रमाणक साक्षी के रूप में लल्लूलाल (वा.सा.4) की साक्ष्य कराई है। उक्त साक्षी ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि उक्त वसीयतनामा मुन्नीबाई ने अपने जीवनकाल में नोटरी बैहर के समक्ष तहरीर कर अपना अंगूठा निशानी अंकित की थी, जिस पर उसने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किया था। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में यह स्पष्ट नहीं किया है कि मुन्नीबाई ने कथित वसीयतनामा पढ़वाकर, सुनकर व समझकर उस पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने यह भी कथन नहीं किया है कि मुन्नीबाई के सामने उसने या अन्य गवाह ने अपने हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने कथित वसीयत विधिवत् निष्पादित किये जाने के संबंध में वैधानिक आवश्यकता पूर्ण किये जाने की कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में प्रकट नहीं किया है।

16— वादिनी ने कथित वसीयतनामा दिनांक 21.07.07 के लेखक के रूप में पुन्नदास (वा.सा.5) की साक्ष्य कराई है, उक्त साक्षी ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मुन्नीबाई कथित वसीयत दिनांक उसके पास न्यायालय परिसर में आई और फिर अपने घर ले गई व मुन्नीबाई के साथ उसके घर रौंदाटोला गया। मुन्नीबाई एवं तीन गवाहों के सामने मौखिक रूप से कच्ची वसीयत लेख कर उसी दिन न्यायालय परिसर में स्टाम्प पेपर में वसीयत पक्के रूप से टाईप करवाई थी, जिस पर उसने हस्ताक्षर किया। साक्षी ने वसीयतकर्ता मुन्नीबाई का निवास स्थान रौंदाटोला बैहर बताया है, जबकि वादी अकीला (वा.सा.1) ने उसका

निवास स्थान कंपाउण्डर टोला बैहर बताया है। यह उल्लेखनीय है कि वादिनी अकीला तथा मुन्नीबाई एक ही मकान में कथित वसीयत के समय निवासरत् थे, ऐसी दशा में कथित कच्ची वसीयत लेख करने के स्थान रौंदाटोला और कम्पाउण्डर टोला में परस्पर विरोधाभास होने से संदेहास्पद परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिन्हे वादिनी की ओर से साक्ष्य में दूर नहीं किया गया है।

17— वादिनी की ओर से प्रस्तुत कथित वसीयतनामा दिनांक 21.07.07 कंप्यूटर टाईपिंग व प्रिंटर से तैयार दस्तावेज होना प्रकट होता है। जबकि उसके लेखक पुन्नुदास (वा.सा.5) का कथन है कि उसने न्यायालय परिसर बैहर में कच्ची वसीयत के आधार पर पक्के रूप से टाईप कराई थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया कि उसे याद नहीं कि उसने मुन्नीबाई के बताए अनुसार वसीयत लिखी थी, वह टाईप कराई हुई थी या कंप्यूटर के द्वारा तैयार कराई थी। साक्षी का आगे यह भी कथन है कि उसने वसीयतनामा टाईप किया हुआ वाली बात बयान देते समय धारा प्रवाह होकर बताया था। इस प्रकार साक्षी के कथन में ही कथित वसीयत टाईपिंग मशीन या कंप्यूटर से तैयार की गई, इस संबंध में परस्पर विरोधाभास है, यह भी उल्लेखनीय है कि न्यायालय परिसर बैहर में यदि कथित वसीयत के समय कंप्यूटर टाईपिंग की सुविधा उपलब्ध थी, तब उक्त के संबंध में वादिनी, लेखक या अनुप्रमाणक साक्षी के द्वारा उक्त तथ्य अवश्य ही प्रकट किया गया होता। वास्तव में कथित वसीयत के समय न्यायालय परिसर बैहर में कंप्यूटर टाईपिंग की सुविधा उपलब्ध होने की साक्ष्य के अभाव में भी कथित वसीयत न्यायालय परिसर बैहर में टाईप होकर तैयार होना पूर्णतः संदेहास्पद है।

18— कथित वसीयतनामा दिनांक 21.07.07 के अन्य अनुप्रमाणक साक्षी संपतलाल को प्रतिवादी की ओर से अपने पक्ष समर्थन में पेश किया गया है। संपतलाल (प्र.सा-2) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि उसका नाम संपतलाल वल्द प्रेमलाल तथा उसके पिता का नाम मेहतर नहीं है। उसके सामने मुन्नीबाई ने कभी भी वादी के पक्ष में वसीयत नहीं की और न ही उसने कोई वसीयत के संबंध में फोटो चस्पा किया। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वसीयतनामा प्रदर्श पी-1 पर गवाह के रूप में उसकी तस्वीर लगी है। साक्षी का स्वतः कथन है कि अकीला के पति ने उससे तस्वीर मांगी थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वसीयतनामा प्रदर्श पी-1 के द से द भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार उक्त साक्षी ने वसीयतनामा प्रदर्श पी-1 के

अनुप्रमाणक साक्षी होते हुए उक्त वसीयतनामा के निष्पादन को ही संदेहास्पद बना दिया है।

19— प्रतिवादी क्रमांक—1 ने अभिवचन में स्व. मुन्नीबाई की मृत्यु दिनांक 05.01.08 को होना प्रकट किया है। जिसके संबंध में वादिनी ने मुन्नीबाई का मृत्यु प्रमाणपत्र प्रदर्श पी—10 पेश किया है, जिसमें मृत्यु दिनांक 05.01.08 लेख है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि स्व. मुन्नीबाई की मृत्यु दिनांक 05.01.08 को हुई थी। वादिनी की ओर से प्रस्तुत कथित वसीयतनामा दिनांक 21.07.07 प्रदर्श पी—1 के लगभग 6 महीने के भीतर मुन्नीबाई मृत्यु होना प्रकट होती है। मुन्नीबाई एक अनपढ़ ग्रामीण महिला रही है, तथा कथित वसीयतनामा प्रदर्श पी—1 में उसकी उम्र 90 वर्ष दर्शित की गई है, उक्त स्थिति के संबंध में प्रतिवादी की ओर से वादिनी अकीला (वा.सा.1) के प्रतिपरीक्षण में चुनौती दी जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मुन्नीबाई की मृत्यु के एक वर्ष पूर्व मुन्नीबाई को दाहिने हाथ, पैर और मुंह में लकवा मार दिया था। उक्त तथ्य से यह प्रकट होता है कि मुन्नीबाई कथित वसीयत के समय एक ग्रामीण, अनपढ़ महिला होने के साथ अत्यन्त बीमार भी थी। अतः ऐसी दशा में उसके द्वारा स्वयं चलकर न्यायालय में उपस्थित होकर सक्रिय रूप से कथित वसीयत का निष्पादन विधिवत् रूप से किया जाना भी पूर्णतः संदेहास्पद हो जाता है।

20— वादिनी ने कथित वसीयतनामा दिनांक 21.07.07 को विधिवत् निष्पादन किये जाने के तथ्य को प्रमाणित नहीं किया है एवं उक्त वसीयत के निष्पादन किये जाने के समय उत्पन्न संदेहास्पद परिस्थितियों को साक्ष्य में दूर नहीं किया है। इस प्रकार वादिनी ने कथित वसीयतनामा दिनांक 21.07.07 प्रदर्श पी—1 प्रमाणित नहीं किया है। ऐसी दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश पर प्रतिवादी क्रमांक—1 रहमान के पक्ष में तथाकथित रूप से निष्पादित किये गये पंजीकृत वसीयतनामा दिनांकित—16.09.1999 वैध एवं प्रभावी होने के संबंध में बनाए गए वादप्रश्न का निराकरण किया जाना होगा।

21— प्रतिवादी क्रमांक—1 ने कथित वसीयतनामा दिनांक 16.09.1999 के आधार पर विवादित संपत्ति को स्वत्व में प्राप्त होना प्रकट किया है। प्रतिवादी की ओर से उक्त वसीयत के कथित अनुप्रमाणक साक्षी के रूप में ताहीर अली (प्र.सा. 3) एवं रामप्रकाश (प्र.सा.4) की साक्ष्य कराई गई है। उक्त साक्षीगण ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मुन्नीबाई ने उनके समक्ष रजिस्टर्ड वसीयतनामा प्रदर्श डी—1 रहमान के पक्ष में लिखा था, जिसमें गवाह के रूप में

उनके हस्ताक्षर हैं। ताहिर अली (प्र.सा.3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसे वसीयत में हस्ताक्षर कराने के लिए बुलाने हेतु रहमान आया था। साक्षी का यह भी कथन है कि जब लिखा-पढ़ी हो रही थी, तब वह पहुंचा था। इस साक्षी ने अपनी संपूर्ण साक्ष्य में यह कथन नहीं किया है कि कथित वसीयत के समय वसीयत मुन्नीबाई को पढ़कर सुनाई गई थी और उसने सुनकर व सोच-समझकर उसके समक्ष वसीयत स्वीकार कर उस पर हस्ताक्षर किये थे, तथा उसके पश्चात् मुन्नीबाई के समक्ष ही उसने व अन्य गवाह ने हस्ताक्षर किये थे।

22— वसीयतनामा प्रदर्श डी-1 के कथित अनुप्रमाणक साक्षी रामप्रकाश (प्र.सा.4) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि वसीयत के समय रहमान के साथ उसकी माँ मुन्नीबाई उसे बुलाने आई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वसीयतनामा वकील साहब ने बोलकर लिखाए थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने वसीयत अच्छे से पढ़कर हस्ताक्षर नहीं किये थे। साक्षी का यह भी कथन है कि उसे वसीयत ताहिर ने पढ़कर सुनाई थी। इस साक्षी ने अपनी संपूर्ण साक्ष्य में यह कथन नहीं किया है कि कथित वसीयत के समय वसीयत मुन्नीबाई को पढ़कर सुनाई गई थी और उसने सुनकर व सोच-समझकर उसके समक्ष वसीयत स्वीकार कर उस पर हस्ताक्षर किये थे, तथा उसके पश्चात् मुन्नीबाई के समक्ष ही उसने व अन्य गवाह ने हस्ताक्षर किये थे।

23— रामप्रकाश (प्र.सा.4) ने अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त वसीयत वकील साहब द्वारा तैयार करने से इंकार किया है, किन्तु पश्चात् में साक्षी का स्वतः यह भी कथन है कि वसीयत लेख होने के बाद वकील साहब ने कहा कि लो पढ़कर देख लो। उसे वकील साहब का नाम याद नहीं है। इसी प्रकार ताहिर अली (प्र.सा.3) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया है कि वसीयत वकील बोलकर लिखा रहा था और मुन्नीबाई बोलकर नहीं लिखा रही थी।

24— ताहिर अली (प्र.सा.3) ने यह स्वीकार किया कि मुन्नीबाई को शुद्ध हिन्दी नहीं आती थी, तथा वह गांव की बोली में बात किया करती थी। इस प्रकार उक्त संपूर्ण तथ्यों पर विचार किया जाए तो यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि वसीयतनामा प्रदर्श डी-1 के समय मुन्नीबाई 80 वर्ष की वयोवृद्ध महिला थी, तथा वह निरक्षर व ग्रामीण महिला होते हुए मात्र अंगूठा लगाती थी, इसके अलावा उसे ठीक से हिन्दी भी नहीं आती थी और वह गांव की भाषा में बोलती थी। ऐसी दशा में कथित वसीयतनामा प्रदर्श डी-1 को मुन्नीबाई के द्वारा बिना किसी

वकील या दस्तावेज लेखक की सहायता के बिना शुद्ध हिन्दी भाषा में बोलकर टाईप कराया जाना अविश्वसनीय एवं अस्वाभाविक प्रतीत होता है। उक्त परिस्थितियां कथित वसीयत के विधिवत् निष्पादित किये जाने को अत्यन्त संदेहास्पद बनाती है।

25— वसीयतनामा प्रदर्श डी-1 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उसे दस्तावेज लेखक प्रेमलाल लिहारे के द्वारा तैयार किया गया था, किन्तु उक्त वसीयत के दोनों अनुप्रमाणक साक्षी ताहिर अली (प्र.सा.3) एवं रामप्रकाश (प्र.सा.4) ने एक मत होकर यह कथन किये हैं कि उक्त वसीयत मुन्नीबाई ने ही बोलकर लिखाई थी। इस प्रकार उक्त साक्षीगण के द्वारा कथित अनुप्रमाणक साक्षीगण के रूप में वसीयत लेख किये जाने के महत्वपूर्ण तथ्य संबंध में भी असत्य कथन किया जाना प्रकट होने से उक्त वसीयत की विश्वसनीयता भंग हो जाती है। इस प्रकार प्रतिवादी क्रमांक-1 ने भी वसीयतनामा प्रदर्श डी-1 के विधिवत् निष्पादन किये जाने के तथ्य को प्रमाणित नहीं किया है एवं उक्त वसीयत के निष्पादन किये जाने के समय उत्पन्न संदेहास्पद परिस्थितियों को साक्ष्य में दूर नहीं किया है।

26— प्रकरण में वादिनी द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा प्रदर्श पी-1 एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा प्रदर्श डी-1 विधिवत् प्रमाणित नहीं है। ऐसी दशा में स्व. मुन्नीबाई की मृत्यु उपरान्त उसकी संपत्ति मुस्लिम विधि के अनुसार उसके वैध वारसान को प्राप्त होती है। उभयपक्ष के अभिवचन एवं प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि स्व. मुन्नीबाई का पुत्र प्रतिवादी क्रमांक-1 एवं पुत्री वादिनी जीवित वारसान हैं। यद्यपि प्रकरण में यह विवादित तथ्य है कि प्रतिवादी क्रमांक-1, का जन्म स्व. मुन्नीबाई के प्रथम पति बलदार खान अथवा दूसरे पति रसूल बेग से हुआ। इस तथ्य का निराकरण निर्णय के आगामी कंडिकाओं में किया जावेगा। वादिनी ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि कथित वसीयत के आधार पर वह विवादित भूमि की एक मात्र स्वामी है। प्रतिवादी क्रमांक-1 ने भी यह प्रमाणित नहीं किया है कि कथित वसीयत के आधार पर वह विवादित भूमि की एक मात्र स्वामी है। इस प्रकार प्रतिवादी क्रमांक-1 के पक्ष में उक्त वसीयत के आधार पर राजस्व न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-31.07.2009 प्रभाव शून्य घोषित किये जाने योग्य है। अतएव वाद प्रश्न क्रमांक-1 एवं 6 "प्रमाणित नहीं" के रूप में तथा वादप्रश्न क्रमांक-2 "प्रमाणित" के रूप में निराकृत किये जाते हैं।

वादप्रश्न क्रमांक-7 का निराकरण

27— यह साबित करने का भार वादिनी पर है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-6 के पक्ष में निष्पादित विवादित भूमि का पंजीयत विक्रय पत्र दिनांक-10.06.2011 अवैध होने से वादीया पर अबंधनकारी है। वादिनी ने प्रतिवादी क्रमांक-1 को मुन्नीबाई के प्रथम पति बलदार खान का पुत्र होना प्रकट किया है। इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मुन्नीबाई के विरुद्ध खुर्शीद मोहम्मद के द्वारा प्रस्तुत व्यवहार वाद क्रमांक 19 अ/91, पक्षकार खुर्शीद मोहम्मद विरुद्ध मुन्नीबाई एवं अन्य में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के पारित निर्णय दिनांक 29.02.96 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-5 एवं डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-6 पेश की है। इसी प्रकार पक्षकार श्रीमती मरियम व अन्य विरुद्ध मुन्नीबाई एवं अन्य में प्रथम अपर जिला न्यायाधीश बालाघाट के पारित निर्णय दिनांक 19.08.98 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-7 एवं डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-8 पेश की है। तृतीय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उक्त व्यवहार वाद एवं व्यवहार अपील में प्रतिवादी क्रमांक-1 रहमान खान की वल्दीयत बलदार खान के रूप में लेख होना प्रकट होती है। उक्त दस्तावेज लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि है, जिसमें प्रतिवादी क्रमांक-1 के पिता का नाम बलदार खान नाम दर्ज होना प्रकट होता है। इसके अलावा उक्त वाद में यह अभिवचन लिया जाना प्रकट होता है कि मुन्नीबाई का प्रथम पति बलदार खान था और रहमान खान उनका पुत्र है।

28— उपरोक्त दस्तावेजों से यह प्रकट होता है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 के पैतृक संबंधी विवाद के उद्भूत होने के पूर्व ही तृतीय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उक्त व्यवहार वाद किरायेदारी के विवाद के संबंध में दायर किया गया था, जिसमें स्वयं मुन्नीबाई और प्रतिवादी क्रमांक-1 प्रतिवादीगण के रूप में संयोजित किये गये थे। उक्त वाद में प्रतिवादी रहमान खान एवं उसकी माता मुन्नीबाई ने लिखित कथन देकर प्रतिरक्षा पेश की है, जिससे यह प्रकट होता है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 को उक्त वाद में प्रतिरक्षा लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। इस प्रकार उक्त निर्णय की प्रतिलिपि में प्रतिवादी क्रमांक-1 के पिता के रूप में बलदार खान का नाम उल्लेखित होने का तथ्य इस मामले में सुसंगत होकर वादिनी के पक्ष को समर्थित करता है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 का पिता बलदार खान था।

29— वादिनी अकीला (वा.सा.1), केशवराव (वा.सा.2) एवं हरिहर प्रसाद (वा.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में एक मत होकर यह कथन किये हैं कि

प्रतिवादी क्रमांक-1, मुन्नीबाई के प्रथम पति बलदार खान का पुत्र है। मुन्नीबाई के दूसरे पति से उसको तीन संताने थी, जिसमें से वादिनी के अलावा पुत्र रियाज व पुत्री जमीला फौत हो चुके हैं। उक्त साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में प्रतिवादी पक्ष की ओर से उपरोक्त तथ्य का खण्डन नहीं किया गया है। प्रतिवादी क्रमांक-1 ने स्वयं को मुन्नीबाई के द्वितीय पति रसूल खान का पुत्र होने का अभिवचन कर साक्ष्य पेश की है। रहमान (प्र.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 9 में यह स्वीकार किया है कि उसने अपने पुत्रगण के नाम से प्लॉट खरीदा था, जिसमें से एक पुत्र राशिद खान नाबालिग होने पर वह उसकी ओर से वली बनकर रजिस्ट्री करवाया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उक्त विक्रयपत्र में उसने अपने पिता का नाम में बी.ए.आर. खान लिखवाया था। यद्यपि साक्षी ने पिता का नाम बी.ए.आर. खान अर्थात् बलदार खान लिखाए जाने से इंकार किया है।

30— वादिनी ने ग्राम बैहर के पैदाईश रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-11 पेश किया है, जिसमें बलदार खान का पुत्र दिनांक 17.07.49 को जन्म होना का इंद्राज है। यद्यपि उक्त दस्तावेज से यह प्रकट नहीं होता कि कथित बलदार खान, मुन्नीबाई का पति या प्रतिवादी क्रमांक-1 का पिता था अथवा मुन्नीबाई को उसके कथित प्रथम पति बलदार खान से ही उक्त पुत्र उत्पन्न हुआ है, किन्तु प्रतिवादी क्रमांक-1 की ओर से अपने जन्म तारीख के संबंध में एवं उक्त दस्तावेज के खण्डन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। प्रतिवादी रहमान (प्र.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसका जन्म बैहर में हुआ था। वादिनी की ओर से प्रस्तुत साक्षी केशवराव (वा.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि मुन्नीबाई की प्रथम संतान रहमान है और वह मुन्नीबाई के निकाह में गया था। साक्षी का स्वतः कथन है कि मुन्नीबाई का पहला निकाह बलदार खान के साथ एवं दूसरा निकाह रसूल खान के साथ हुआ था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि रसूल खान ने ही रहमान को पढाया—लिखाया और पालन पोषण किया तथा मलाजखण्ड में रहमान को रसूल खान ने नौकरी लगाई थी। इस साक्षी के कथन का खण्डन प्रतिवादी की ओर से इस संबंध में नहीं किया गया है कि प्रतिवादी रहमान, मुन्नीबाई के प्रथम पति बलदार खान से निकाह होने पर पैदा हुआ था।

31— यदि यह मान भी लिया जाए कि प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा अपने पिता का नाम रसूल बेग लिख रहा हो तो यह निश्चायक सबूत नहीं हो सकता कि रसूल बेग उसका पिता था, बल्कि प्रकरण में प्रस्तुत तथ्य व परिस्थिति से यह

अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 रहमान को उसके पिता बलदार खान के द्वारा छोड़ दिए जाने पर माँ मुन्नीबाई के द्वारा रसूल बेग से निकाह करने पर रसूल बेग ने प्रतिवादी रहमान को अपनी वल्दीयत प्रदान करते हुए उसका पालन पोषण किया। प्रतिवादी क्रमांक-1 रहमान के वल्दीयत के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से यह अधिसंभावना प्रकट होती है कि मुन्नीबाई ने प्रथम विवाह बलदार खान से किया था और उक्त विवाह से मुन्नीबाई से रहमान खान उत्पन्न हुआ। मुन्नीबाई को बलदार खान के द्वारा छोड़ दिए जाने पर मुन्नीबाई ने दूसरा विवाह रसूल बेग से किया था, जिससे मुन्नीबाई को वादिनी, जमीला एवं रियाज उत्पन्न हुए थे, जिसमें से जमीला एवं रियाज फौत हो चुके हैं।

32— पक्षकारगण मुस्लिम विधि से शासित होते हैं। पक्षकारगण ने अपने अभिवचन में यह प्रकट नहीं किया है कि वे शिया या सुन्नी संप्रदाय या विशेष शाखा के अंतर्गत आते हैं। ऐसी दशा में भारतवर्ष में अधिकांशतः मुस्लिम सुन्नी संप्रदाय के अंतर्गत हनफी शाखा से शासित होने के आधार पर पक्षकारगण सुन्नी संप्रदाय के अंतर्गत हनफी शाखा से शासित होने की उपधारणा की जा सकती है। सामान्यतः मुस्लिम विधि के अंतर्गत मुस्लिम व्यक्ति के मृत होने की दशा में उसके प्रत्येक उत्तराधिकारी संपत्ति में अपना पृथक एवं पूर्ण हिस्सा प्राप्त करते हैं। इसके अलावा मुस्लिम व्यक्ति के मृत होने के समय उसके जीवित वारसान ही उसकी संपत्ति में अपना निर्धारित अंश प्राप्त करते हैं तथा ऐसे वारसान जिनकी मृत्यु पूर्व में हो चुकी हो तो नजदीकी वारसान जीवित होने से पूर्व मृत वारसान के वारिसों को संपत्ति में कोई हक प्राप्त नहीं होता है।

33— प्रकरण में मुन्नीबाई की मृत्यु के समय उसके जीवित वारसान के रूप में एक पुत्र एवं पुत्री क्रमशः प्रतिवादी रहमान एवं वादिनी अकीला थे तथा मुन्नीबाई की मृत्यु के पूर्व ही उसकी अन्य पुत्री व पुत्र क्रमशः जमीला एवं रियाज फौत हो चुके थे। उभयपक्ष ने अपने अभिवचन में मुन्नीबाई को विवादित संपत्ति उसके पिता व भाई से प्राप्त होना प्रकट किया है। ऐसी दशा में मुन्नीबाई के फौत उपरान्त उसकी संपत्ति को प्रतिवादी रहमान एवं वादिनी अकीला जीवित वारसान के रूप में प्राप्त करने के हकदार हैं। मुस्लिम विधि के अंतर्गत सामान्य रूप से मृत व्यक्ति की संपत्ति पर वारसान हक में पुत्र को दो हिस्सा तथा पुत्री को एक हिस्सा अवशिष्ट अंश के रूप में प्राप्त होता है। इस मामले में मुन्नीबाई के प्रथम पति बलदार खान से प्रतिवादी क्रमांक 1 रहमान तथा द्वितीय

पति रसूल बेग से वादिनी उत्पन्न हुए, जिस कारण वादिनी एवं प्रतिवादी क्रमांक—1 आपस में पूर्ण रक्त संबंधी न होकर आपस में एकोदर संबंधी हुए। वादिनी एवं प्रतिवादी क्रमांक—1 के एकोदर बहन व भाई होने से उन्हें मुन्नीबाई की संपत्ति में से उन्हें समान अंश प्राप्त होता है।

34— न्यायदृष्टांत **Mohammed Jaheer v. M. V. Mohammed Hussain Walayata AIR 2013 BOMBAY 77** में माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि— There is no prohibition under the Muslim Law for a Muslim female to perform a second marriage, if her earlier marriage does not subsist. The children born out of such marriages from different husbands, shall be the legitimate children called as uterine brothers and sisters entitled to be classified as 'Sharers' to inherit the estate of a deceased Muslim. Significantly, the Muslim Law does not make any distinction for the purposes of inheritance in respect of a property owned by a Muslim female or male, like one which exists under the provisions of Sections 8 and 15 of the Hindu Succession Act, prescribing different modes of succession to the property of a Hindu male and female. The property of a Muslim female dying intestate will, therefore, be governed by the same rules of inheritance and succession, as if it is a property owned by a Muslim male dying intestate. In view of this, though the uterine brothers and sisters are the real sons and daughters of the same mother, they cannot be classified as 'Residuaries' to inherit the estate of their mother, but they are to be classified as 'Sharers' as if they are inheriting the estate of putative father. Hence daughter would be entitled to share equal to her uterine brothers. उक्त के प्रकाश में वादिनी एवं प्रतिवादी क्रमांक—1 के एकोदर बहन व भाई होने से उन्हें माँ मुन्नीबाई की फौत उपरांत मुन्नीबाई के एक मात्र स्वत्व की विवादित भूमि में से वादिनी एवं प्रतिवादी क्रमांक—1 को वारसान हक के रूप में समान अंश प्राप्त होता है।

35— वाद लंबन काल के दौरान अर्थात् इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.04.11 के पश्चात् किन्तु अपील प्रस्तुति दिनांक 22.06.11 के पूर्व दिनांक 10.06.11 को प्रतिवादी क्रमांक-1 रहमान ने प्रतिवादी क्रमांक-6 सरफराज के पक्ष में विवादित भूमि विक्रय किये जाने के संबंध में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.06.11 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-12 पेश है। माननीय अपीलीय न्यायालय के द्वारा वाद को इस न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने के उपरांत वाद में उक्त क्रेता प्रतिवादी क्रमांक-6 सरफराज को पक्षकार बनाया है। प्रतिवादी क्रमांक-6 ने अपने लिखित कथन में वाद में पारित निर्णय की अपील अवधि पश्चात् विवादित भूमि क्रेय किये जाने के संबंध में अभिवचन किये हैं। सरफराज (प्र.सा.5) ने अपने अभिवचन अनुरूप मुख्य परीक्षण में भी कथन किया है तथा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने रजिस्ट्री कराने के पूर्व प्रतिवादी रहमान की पारिवारिक स्थिति की जानकारी नहीं ली थी कि उसके माता-पिता, बहन भाई कौन हैं और उसे कहां से जमीन मिली है। इस प्रकार प्रतिवादी क्रमांक 6 लंबित वाद के सिद्धान्त अंतर्गत पारित होने वाला निर्णय उस पर बंधनकारी है।

36— प्रकरण में प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य एवं विधिक स्थिति की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि वादिनी एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 ने विवादित भूमि पर वारसान हक में समान अंश प्राप्त किया है। वादिनी ने प्रतिवादी क्रमांक -1 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-6 के पक्ष में निष्पादित संपूर्ण विवादित भूमि के विक्रयपत्र दिनांक 10.06.11 को अवैध एवं प्रभावशून्य होने का अनुतोष चाहा है। प्रतिवादी क्रमांक-1 को संपूर्ण विवादित भूमि का विक्रय करने का अधिकार न होकर उसके अंश अर्थात् विवादित भूमि के 1/2 अंश का ही विक्रय करने का अधिकार था। ऐसी दशा में प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा विवादित भूमि के अपने अंश से अधिक अंश का विक्रय वादिनी पर बंधनकारी नहीं है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक-7 "अंशतः प्रमाणित" के रूप में निराकृत किया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक 3 व 4 का निराकरण

37— उक्त दोनों वादप्रश्न का सुविधा की दृष्टि से एक साथ निराकरण किया जा रहा है। यह साबित करने का भार वादिनी पर है कि विवादित भूमि पर उसका कब्जा है, तथा प्रतिवादीगण उक्त विवादित भूमि में अनाधिकृत हस्तक्षेप कर रहे हैं। वादिनी एवं प्रतिवादी क्रमांक-6 ने अपने अभिवचन में विवादित भूमि पर स्वयं को काबिज काश्त होना प्रकट किया है। वादिनी अकीला (वा.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में मुन्नीबाई की मृत्यु के समय से विवादित भूमि उसके कब्जे

में होना प्रकट की है। इस तथ्य का समर्थन केशव राव (वा.सा.2), हरिहर प्रसाद (वा.सा.3) एवं लल्लूलाल (वा.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में किया है। उक्त साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में विवादित भूमि पर वादिनी अकीला का कब्जा होने के तथ्य का खण्डन प्रतिवादी की ओर से नहीं किया गया है। वादिनी की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष धारा 145 द.प्र.सं. की कार्यवाही में प्रस्तुत स्थल जांच प्रतिवेदन एवं पंचनामा की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-3 एवं प्रदर्श पी-4 पेश की गई है। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विवादित भूमि पर दिनांक 12.09.09 को वादिनी का ही कब्जा था।

38— उपरोक्त साक्ष्य से यह अधिसंभावना प्रकट होती है कि विवादित भूमि पर मुन्नीबाई की फौत उपरान्त वादिनी अकीला का ही कब्जा चला आ रहा है। उभयपक्ष के मध्य विवादित भूमि के कब्जा संबंधी विवाद में धारा-145 द.प्र.सं. की कार्यवाही राजस्व न्यायालय द्वारा किये जाने तथा प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-6 को विवादित भूमि का विक्रय किये जाने से यह प्रकट होता है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 व 6 के द्वारा वादिनी के आधिपत्य की विवादित भूमि पर हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी दशा में प्रतिवादी क्रमांक-6 को विवादित भूमि के क्रेता एवं सहस्वामी के रूप में अंतरिती का अधिकार संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा-44 के अंतर्गत संरक्षित है, किन्तु प्रतिवादी क्रमांक-1 एवं 6 के द्वारा विधि की सम्यक् प्रक्रिया का पालन करे बगैर वादिनी के आधिपत्य वाली विवादित भूमि पर हस्तक्षेप करने से निषेधित किये जाने हेतु उक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादिनी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की हकदार है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक-3 व 4 प्रमाणित के रूप में निराकृत किये जाते हैं।

सहायता एवं व्यय

39— वादिनी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 ने उनके पक्ष में कथित वसीयतों को विधिक रूप से प्रमाणित नहीं किया है। वादिनी ने अपना वाद अंशतः प्रमाणित किया है कि तहसीलदार बैहर द्वारा राजस्व प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 31.07.09 प्रतिवादी क्रमांक-1 के पक्ष में वसीयत प्रमाणित न होने से अवैध व प्रभाव शून्य है। प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा अपने अंश से अधिक भाग का प्रतिवादी क्रमांक-6 के पक्ष में निष्पादित विवादित भूमि का पंजीयत विक्रय पत्र दिनांक-10.06.2011 अवैध होने से वादिनी पर अबंधनकारी है। वादिनी के आधिपत्य की विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण अवैध हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिस कारण प्रतिवादी क्रमांक-1 एवं 6 के विरुद्ध वादिनी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की हकदार है।

अतएव वादिनी का वाद अंशतः स्वीकार कर बाद में निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की जाती है :-

(1) मौजा बैहर प.ह.न. 17/1, रा.नि.म. बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 427/1 रकबा 1.910 हेक्टेयर भूमि पर वादिनी का वसीयत एवं वारसान हक के आधार पर एकमात्र स्वत्व प्राप्त होने का दावा निरस्त किया जाता है।

(2) प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा विवादित भूमि के अपने 1/2 अंश से अधिक अंश का प्रतिवादी क्रमांक-6 के पक्ष में किया गया विक्रय का निष्पादित पंजीयत विक्रय पत्र दिनांक-10.06.2011 वादिनी पर प्रभाव शून्य है।

(3) उक्त विवादित भूमि से संबंधित राजस्व प्रकरण क्रमांक-29अ/6-2007-08 में पारित आदेश दिनांक-31.07.2009 प्रतिवादी क्रमांक-1 के पक्ष में वसीयत प्रमाणित न होने से अवैध व प्रभाव शून्य घोषित किया जाता है।

(4) प्रतिवादी क्रमांक-1 एवं 6 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे स्वयं अथवा अन्य के माध्यम से उक्त विवादित भूमि पर वादिनी के आधिपत्य में विधि की सम्यक् प्रक्रिया का पालन करे बगैर किसी प्रकार से हस्तक्षेप न करें।

(5) उभयपक्ष अपना-अपना वादव्यय स्वयं वहन करेंगे तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगी।

उपरोक्तानुसार आज्ञप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बैहर

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बैहर